



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01042023-244880
CG-MH-E-01042023-244880

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1483]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945

No. 1483]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 28 मार्च, 2023

का.आ. 1538(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20 'च' की उप-धारा) 6 (द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित मध्यस्थ को नियुक्त करती है, जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है। सक्षम अधिकारी की यह नियुक्ति उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले जो कि महाराष्ट्र राज्य में "कल्याण – कसारा तीसरी रेलवे लाइन" के संबंध में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के परियोजना से संबंधित है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	अपर आयुक्त, कोकण विभाग	ठाणे

[फा. सं. G197/KYN-KSRA/2023/SPL/Mar/Arbitrator]

विवेक कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(CENTRAL RAILWAY)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 28th March, 2023

S.O. 1538E).— In exercise of the powers conferred by **sub-section (6) of Section 20F** of the Railway (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the **arbitrator** mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special Railway Project of **Kalyan–Kasara 3rd line**” in the State of Maharashtra relating to district mentioned in column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

TABLE

S.No	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	Additional Commissioner, Kokan Division	Thane

[F. No. G197/KYN-KSRA/2023/SPL/Mar/Arbitrator]

VIVEK KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)